International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, January- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

भारतीय राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में मुस्लिम समुदाय की स्थिति: एक विवेचना

राखी[1], शिम्पी पान्डे[2]

सार:स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत विभाजन के समय सेही भारत में अल्पसंख्यकों का विषय महत्वपूर्ण रहा है। भारत में भारतीय परिवेश में मुस्लिम समुदाय का विशेष महत्व रहा है। भारत में कई स्थानों पर मुस्लिम समुदाय बहुमत में है व कई क्षेत्रों में में यह अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में विद्यमान है। भारत में मुस्लिम समुदाय की समकालीन स्थिति के निर्धारण में उनकी राजनीतिक , सामाजिक व आर्थिकप्रस्थिति उत्तरदायी होती है ।भारत में विभिन्न धार्मिकअल्पसंख्यकों में मुस्लिम समुदायसबसे विशाल समुदाय है किंतु राजनीतिक मुख्यधारा का भाग पूर्णतया नहीं बन सका है Iयह विकास प्रक्रिया से प्राप्त होने वाले लाभों को प्राप्त करने के क्षेत्र में बहुत पीछे है। यह समुदाय अल्पसंख्यक समूह की श्रेणी में न्यूनतम स्थिति में है।इनकी भारतीय परिदृश्य के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है। भारतीय संविधान धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को कई प्रकार से विधिक सुरक्षा उपलब्ध करता है व साथ ही इनकी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रमु ख प्रावधान का निर्माण करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार विभिन्न रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों को भी संरक्षित करते है। धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाए रखने व उनके हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया वहीं विभिन्न समितियों, आयोगों व कार्यक्रमों की स्थापना की गई ताकि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को संरक्षित व सुरक्षित किया जा सके।

संकेत शब्द: अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय, धर्म, संविधान, सामाजिक समानता, अधिकार, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता

[1]शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय.
[2]शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय.

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, January- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

यद्यपि भारत एक उदारवादी, लोकतांत्रिक, बहु-धार्मिक, बहु-जातीय, बहु-सांस्कृतिक, धर्मनिर्पेक्षीय देश है जहां सबके मतों, विचारों को समान स्थान व महत्व प्रदान किया गया है I किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक, सामाजिक व न्यायिक स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाता तथा साथ ही उन्हें भारतीय संविधान के द्वारा संरक्षण भी प्रदान किया गया हैI भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान अल्पसंख्यक समुदाय को कई प्रकार से विधिक सुरक्षा उपलब्ध करता है व साथ ही इनकी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रमुख प्रावधान का निर्माण करता है। इन सभी उपायों के उपरांत भी भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को विभिन्न प्रकार की असमानताओं का सामना करना पड़ता है ।यद्यपि अल्पसंख्यक शब्द के संबंधमें अभी तक किसी सर्वव्यापक परिभाषा को मान्यतानहीं मिली है (Riaz2011:.121)I यदि हम भारतीय संविधान का अध्ययन करे तो यह स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को समान अधिकार दिए जाने पर बल दिया । जहां एक ओर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों ने समाजिक समानता हेतु आधार प्रदान किया वहीं दूसरी ओर 1950 के दशक व्यापक स्तर पर समानता स्थापित किए जाने पर विशेष बल दिया गया । भारतीय संविधान के द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की स्थापना किए जाने का प्रयास किया गया जिसके द्वारा ऐतिहासिक रूप से प्रतिकूल अवस्था के वर्गोंअन्यथा पिछड़े हुए वर्गों को लाभ प्राप्त हो तथा सामाजिक समानता की स्थापना की जा सके। 'प्रतिकूल अवस्था' की स्थिति में मुख्य रूप से तीन वर्गों को सम्मिलित किया गया जिनमें- अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक को प्रतिकूल अवस्था की स्थिति में शामिल नहीं किया गया) (Hasan,2009:4)। इन तीनों ही समूहों को विशिष्ट लाभ व संरक्षण लेख 46 के अंतर्गत तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। विभिन्न समूहों के लिए अलग व भेदकारी स मितियाँ बनाई गईं , भारतीय संविधान व राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार व जाति के आधार के विभाजित समुदायों के समूह के अधिकारों में अंतर किया। जहाँ अल्पसंख्यकों को धर्म के ढाँचे के अंतर्गत रखा गया वहीं प्रतिकूल अवस्था में पाई गई जाति को इससे अलग करके सामाजिक न्याय के परिदृश्य में डाला गया। अल्पसंख्यक अधिकार को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई जिसमें पूजा करने की स्वतंत्रता , पालन करने, व्यवहार में लाने, अपने धर्म को प्रसारित करने का अधिकार , शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार दिया गया।

भारत में पिछड़ी जाति समूहों (अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग) अथवा

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, January- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

समाज का वह वर्ग जो सामाजिक , आर्थिक, राजनीतिक रूप से मुख्यधारा का अंग नहीं बन पाया है , उनको विकास प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु सरकारों के द्वारा अथक प्रयास किए गये हैं व कुछ सीमा तक इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। किन्तु वास्तविकता यह है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति में विशेष सुधार नहीं आया है। वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति बहुत व्यापक जागरुकता देखी गई है तथा इस क्षेत्र में विकास हुआ। भारत में , जो एक प्राचीन व समूह को उपयुक्त मानता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था रखता है। संविधान सभा की बहस (1946-50) ने भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति राज्य की नीतियों के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ (Bhargava 2008: 354)। संविधान सभा की बहस में अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर बहस हुई जिनमें तीन समुदायों पिछड़ी जातियों , आदिवासी व धार्मिक अल्पसंख्यकों के सुरक्षा दिए जाने संबंधी विषय पर विमर्श किया जाना था। इस बहस में अनुसूचित को एक अलग तरह की अल्पसंख्यक श्रेणी में रखे जाने पर दिया गया तथा कहा गया कि यह धार्मिक अल्पसंख्यकों से अलग 'राजनीतिक अल्पसंख्यक' है तथा 'अल्पसंख्यक शब्द' जो अनुसूचित जाति को सांख्यिकीय आधार पर प्रतिकूल नहीं बल्कि यह सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के कारण विशिष्ट व्यवहार के अंतर्गत अधिकार की स्वतंत्रता से संबंधित है (Bhargava 2008: 357)। इसके अंतर्गत विभिन्न अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व दिए जाने संबंधी बहस को शामिल किया गया। प्रतिनिधित्व के संबंध में अल्पसंख्यक वर्ग को सामाजिक स्तर तथा आर्थिक स्तर में विकास संबंधी माना गया। एक सामान्य मान्यता यह थी कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राजनीतिक संरक्षण तभी उपुयक्त होगा जब शक्ति के साथयह सामाजिक संघर्ष में स्वयं को बचा सकेगा। शक्ति मुख्य रूप से शैक्षिक व अल्पसंख्यकों के आर्थिक स्तर से जुड़ा होता है (Rodrigues 2009: 93-94)।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, January- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अल्पसंख्यक अधिकारों का स्वरूप

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान के लेख 29 व 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है तथा इन्हें सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया। लेख 29 में अल्पसंख्यकों के हितों संरक्षण अधिकार और लेख 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित व उसे प्रशासित करने संबंधी अधिकार दिए गए।इनकी व्याख्या इस प्रकार से है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में यह व्यवस्था की गई कि भारत की सीमा के अंतर्गत रहने वाले किसी भी भाग के नागरिक जो समाज के एक निश्चित भाषा , लिपि या संस्कृति से संबंधित हो उसे इनका संरक्षण करने का अधिकार दिया जाएगा तथा किसी भी व्यक्ति को राज्य अनुदान से संचालित किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश लेने के लिए धर्म, वर्ग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सभी अल्पसंख्यक वर्ग जो धर्म या भाषा पर आधारित हों उन्हें अपनी इच्छानुसार शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित व संचालित करने का अधिकार दिया गया। यह भी व्यवस्था की गई कि राज्य द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्था जो धर्म या भाषा आधारित अल्पसंख्यक प्रबंधन के अंतर्गत हो उसके साथ अनुदान संबंधी भेदभाव नहीं कर सकता।

भारतीय संविधान में मुस्लिम अल्पसंख्यक अधिकार

अल्पसंख्यक अधिकारों को हमारे संविधान में संवैधानिक प्रारूप के अंतर्गत अपनाया गया है। ये धार्मिक अल्पसंख्यकों, भाषायी समूहों को भी सीमित रूप से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं।अल्पसंख्यकों को संविधानिक संरक्षण प्रदान किए जाने का एक आधार यह भी है कि ये सामाजिक न्याय के विचार पर आधारित होते हैं व समाज के सभी वर्गों की राजनीतिक-सामाजिक सहभागिता, उन्हें मुख्यधारा का अंग

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, January- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

बनाने व समावेशी विचारों के प्रबल समर्थन करते हैं।भारत में विभिन्न अल्पसंख्यकों में मुस्लिम समुदाय सबसे विशाल समुदाय है किंतु यह विकास से प्राप्त होने वाले लाभों के क्षेत्र में बहुत पीछे है। हालांकि आर्थिक विकास से सभी समुदायों को अधिक लाभ नहीं मिलता किंतु इसमें भी मुस्लिम समुदाय बहुत पीछे है।

धार्मिक अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार , सामाजिक भेदभाव व पिछड़ेपन ने विभिन्न उपागमों व नीतियों को जन्म दिया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार विभिन्न रूप से धार्मिक अधिकारों को भी संरक्षित करते हैं , उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15 (धर्म , वर्ग, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार भेदभाव पर प्रतिबंध) , अनुच्छेद 16 (सरकारी रोजगार के क्षेत्र में अवसर की समानता) , धार्मिक स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 25-28) अनुच्छेद 25 (अंतःकरण व उत्तरजीविता की स्वतन्त्रता , धार्मिक व्यवहार व प्रसारण की स्वतन्त्रता), अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों को संचालित करने की स्वतन्त्रता) , अनुच्छेद 27 (किसी विशेष धर्म के प्रसारण हेतु कर ना देने करने की स्वतन्त्रता), अनुच्छेद 28 (सरकारी या राज्य अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व उपासना की मनाही) , सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30) अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों की भाषा , लिपि, व संस्कृति को संरक्षण) , अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित व संचालन का अधिकार), और अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति उच्चत्तर न्यायालय की शरण प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है (Hasan 2009: 35-36)।

भारतीय मुसलमानों का एक व्यापक समूह सामाजिक अवसरों को प्राप्त करने में भी काफी पिछड़ा हुआ है क्योंकि उन्हें शिक्षा , स्वास्थ्य और अन्य सार्वजनिक सेवाएँ , रोजगार इत्यादि को प्राप्त करने में

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, January- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मुस्लिम पुरुषों की कार्य सहभागिता 48 प्रतिशत है जबकि दलित पुरुषों में यह 53प्रतिशतहै। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और भी अधिक शोचनीय है जो दलित महिलाओं के 23 प्रतिशत की तुलना में 9-6 प्रतिशत ही है।अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में मुसलमानों के शैक्षणिक स्तर में भी पिछड़ापन देखा गया है।मुसलमानों की साक्षरता दर 59 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 65 प्रतिशत है। यदि रोजगार के स्तर का भी अध्ययन करें तो यह स्पष्ट है कि अधिकांश मुस्लिम वर्ग स्व-रोजगार में ही लगा हुआ है। राजनीति के क्षेत्र में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत कम ही है तथा विधायिका में यह स्थिति और भी दयनीय है (Udin 2012: 398-400)। एक सभ्य देश का सूचक उसकी वह विशेषता है जिसके अंतर्गत वह बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों की मानव गरिमा व स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है। यह सिर्फ सिद्धांत रूप में नहीं बल्कि यह व्यावहारिक रूप से होना भी अनिवार्य है। इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक देश को अपने संविधान व संस्थाओं के माध्यम से अनिवार्य तकनीक का विकास करना होता है (Nadkarni 2004: 40)।

भारत में मुस्लिम समुदाय की राजनीतिकव सामाजिकस्थिति

भारत में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं है और ना ही राजनीतिक सहभागिता का स्तर ही सकारात्मक है I भारत में मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारीका प्रतिशत स्वतंत्रता के समय से ही सीमित रहा है I धार्मिक अल्पसंख्यकों के संदर्भ में मुस्लिम समुदाय का अध्ययन महत्वपूर्ण है Iभारत में विभिन्न अल्पसंख्यकों में मुस्लिम समुदाय सबसे विशाल समुदाय है किंतु यह विकास से प्राप्त होने वाले लाभों के क्षेत्र में बहुत पीछे है। हालांकि आर्थिक विकास से सभी समुदायों को अधिक लाभ नहीं मिलता किंतु इसमें भी मुस्लिम समुदाय बहुत पीछे है। यह बात तब

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, January- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

अधिक स्पष्ट हुई जब सचर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय की स्थिति का विस्तृत विवेचन किया गया और उनकी निम्न आर्थिक , शैक्षिक, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन किया। यद्यपि यह विचलित कर देने वाला तथ्य है कि मुस्लिम समुदाय के अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय अवस्था में है(Ahmad 2011: 122)।

अल्पसंख्यकों की स्थिति व सरकारी कार्यक्रमों का अध्ययन इस बात की ओर ईशारा करता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग मुख्य रूप से शैक्षणिक , सामाजिक स्तर पर पिछड़ा हुआ है तथा विभिन्न प्रयास जो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाए हैं क्योंकि उनमें व्यावहारिक रूप से लागू करते समय समस्या उत्पन्न होती है। भारत में मुस्लिम समुदाय एक अलगाववादी समूह के रूप में विद्यमान है। यहाँ एक वृहत्त संख्या में मुसलमान अन्य वर्गों की तुलना गरीबी रेखा से भी निम्न स्तर का जीवनयापन करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम धार्मिक हिंसा को देखें तो यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक और द्वेष की भावना से ओतप्रोत विचारों के फलस्वरूप अल्पसंख्यक समूह को हिंसा का शिकार होना पड़ता है।

मुस्लिम समुदाय के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर यदि नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है की यह वर्ग सामाजिक अवसर प्राप्त करने में अक्षम रहा है जिसका एक मुख्य कारण यह है की इस वर्ग को शिक्षा , स्वास्थ्य सुविधा , सामाजिक सेवाएँ व रोजगार की सुविधा नहीं मिल पायी है।कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां इनकी स्थिति दलितों की तुलना में अधिक दयनीय है। मुस्लिम महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा अधिक निम्नतर है।शिक्षा का स्तर भी मुस्लिम समुदाय में अत्यधिक निम्न स्तर पर है।मुस्लिम समुदाय में यदि रोजगार का अध्ययन करे तो यह तथ्य सामने आता है कि मुस्लिम वर्ग विशेष रूप से स्व-रोजगार में लगे रहते हैं जिनमें मुख्यत लघु उद्योग , काश्तकारी, दर्जी इत्यादि शामिल हैं।सरकारी

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, January- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

नौकरियों व अन्य निजी कंपनियों में मुस्लिम रोजगार का अनुपात बहुत कम है।यह कहना गलत नहीं होगा कि मुस्लिम समुदाय का सिर्फ वही वर्ग मुख्यधारा का अंग है जो आर्थिक , शैक्षणिक, व सामाजिक दृष्टि से सशक्त वसंपन्न हैं जबकि अधिकतर मुस्लिम समुदाय की स्थिति सही नहीं है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक अधिकारों का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि संविधान सभा की बहस के समय से ही यह प्रयास किए गए कि अल्पसंख्यक वर्ग उचित रूप से विकास प्रक्रिया में आगे बढ़े सके। संविधान सभा जहाँ अल्पसंख्यकों के विषय में विभिन्न विचार प्रस्तुत किए वहीं दूसरी ओर यह भी पाया गया कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित करते समय भिन्न-भिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुए उसे विभाजित किया गया जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति संबंधी विचारों में अंतर आया तथा आरक्षण व प्रतिनिधित्व के संबंध में विचार दिए गए। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भाषायी व धार्मिक आधार पर निर्धारित किए गए वहीं दूसरी ओर अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग को सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया। वहीं धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाए रखने व उनके हितों के संरक्षण के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया वहीं विभिन्न समितियों , आयोगों व कार्यक्रमों की स्थापना की गई ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को संरक्षित किया जा सके।

भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है की संविधान निर्माताओं के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को विकास प्रक्रिया में उचित स्थान प्रदान करने व उनकी सहभागिता बढ़ाने का प्रयास किया गया।मुस्लिम अल्पसंख्यक की स्थिति के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विभिन्न प्रयासों व हितों की रक्षा के प्रयास किए जाने के बाद भी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति में कोई

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, January- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

विशेष सुधार नहीं हुआ है तथा विकास प्रक्रिया में भी इनका योगदान अधिक नहीं है। इस के कारण आवश्यकता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु सशक्त प्रयास किया जाना आवश्यक है,इसके साथ ही विभिन्न अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाना आवश्यक है। सरकारी नीतियों एवम योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन की आवश्यकता है जो इस दिशा में महत्वपूर्ण हों। अंत में यह कहा जा सकता है विभिन्न संवैधानिक प्रावधान अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति में सुधार लाने में पूर्ण रूप से सफल नहीं है जो अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्यधारा का भाग बना सकें। भारत में समावेशी विकास की सफलता के लिए सभी वर्गों की सहभागिता अनिवार्य है तभी सामाजिक विकास भी स्थापित होगा एवम संपूर्ण विकास संभव है।हालांकि यह कहना अनुचित नहीं होगा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अल्पसंख्यक विषय को 'वोट बैंक की राजनीति' के अंतर्गत दुरुपयोग भी किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल चुनावी लामबंदी के लिए अल्पसंख्यक मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जो मात्र उन्हें प्रसन्न करने व उनकी समस्याओं के समाधान करने का दिखावा तो करते हैं किंतु वास्तविक रूप से वह निष्पक्ष व सरल ना होकर अपनी राजनीतिक महत्वकांक्षाओं को पूरा करते हैं। यही कारण है कि अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है। आवश्यकता है कि मात्र राजनीतिक लाभ को छोड़कर वास्तविक रूप से अल्पसंख्यकों की समस्या को सुधारा जाए व उनकी सहभागिता को बढ़ाकर मुख्यधारा से जोड़ दिया जाए। अल्पसंख्यक वर्गों को धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान किया गया जबकि अन्य प्रतिकूल अवस्था की स्थिति के वर्गों को सामाजिक न्याय के परिदृश्य में रखा गया। किन्तु वर्तमान समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रति व्यापक जागरूकता दे खी गयी है तथा इस क्षेत्र में विकास व सुधार हेतु प्रयास किए गए हैं।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, January- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

वर्तमान समय की आवश्यकता और अनिवार्यता है कि मुस्लिम समुदाय को मुख्यधारा का अंग बनाया जाये व लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की जाये I यद्यपि किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक अंग व भाग की पूर्ण सहभागिता होI

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 1, January- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

References

- Ahmad, Riaz. 'Of Minorities and Social Development: The case of India's 'Missing' Muslims' in Mohanty Manoranjan (ed.). (2011). *India: Social Development Report 2010. The Land Questions and the Marginalized Council for Social Development.* Oxford University Press, New Delhi.
- Bhargava, Rajeev (ed.).(2008). *Politics and Ethics of Indian Constitution.* Oxford University Press, New Delhi.
- 'Condition of Minority in India: 2009', Report from India Chapter (n.d.)

Retrieved from http://www.csss-isla.com/wp-content/uploads/2015/06/March-16-31-05.pdf

- Hasan, Zoya. (2009). *Politics of Inclusion of Caste, Minorities and Affirmative Action.* Oxford University Press, New Delhi.
- Nadkarni, M. V. (2004). 'Assuring Minority Rights', *Economic and Political Weekly*, Vol. 39, Issue No. 01, January 3, 2004.
- Rodrigues, Valerian (ed.). (2009). *The Essential Writings of B. R. Ambedkar*. Oxford University Press, New Delhi.
- 'Summary of Sachar Committee Report', (n.d.)Retrieved from http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1242304423~~Summary%20of%20Sachar%20Committee%20Report.pdf
- Udin, Dr. Nazeer. (2012). 'Muslim Minority Exclusion and Development Issues: Need for Inclusive Policy', *International Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 2 Issue 1, January 2012, ISSN 22315780.